

SHRI M. P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन (महाराष्ट्र): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

### **Blatant violation of reservation policy in AIIMS**

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि "ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज" में वर्ष 1983 में एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ था और वर्ष 1994 में ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ था। लेकिन, वहां की फैकल्टीज में लगातार एससीज, एसटीज और ओबीसीज के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश और यहां तक कि पिछली सरकार में पीएमओ द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बाद भी लगातार इसका उल्लंघन हो रहा है और ओबीसीज, एससीज और एसटीज के पदों को जनरल कैंडिडेट्स से भर दिया जाता है। मनमानी करने के लिए वहां प्लोटिंग रोस्टर की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तथा एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन का यह स्पष्ट निर्देश है कि फिक्सड रोस्टर होना चाहिए।

वहां वर्ष 2003 में 10 सालों के बाद 164 फैकल्टीज की जगहें निकलीं, जिनमें से ज्यादातर पर अनरिजर्वड कैंडिडेट्स को अप्वाइंट कर दिया गया। वर्ष 2005 में फिर यही किया गया। वर्ष 2008 में, जब बैकलॉग बहुत हो गया तो असिस्टेंट/एसोसिएट/अडिशनल प्रोफेसर्स की 92 पोस्ट्स क्रिएट की गईं, लेकिन सात सालों में आज तक उस ऐडवर्टिजमेंट के बाद भी उनमें से एक पर भी अप्वाइंटमेंट नहीं हुई। यही नहीं, वर्ष 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट्स ऐडवर्टाइज हुईं, प्रोफेसर्स की पोस्ट्स भी ऐडवर्टाइज हुईं, लेकिन प्रोफेसर्स की पोस्ट्स पर एक भी अप्वाइंटमेंट नहीं की गई। अब स्थिति यह है कि ऐसी लगभग 40 परसेंट सीटें हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी की हैं और वे वैकेंट हैं। क्राबिल उम्मीदवारों के होते हुए भी यह कह दिया जाता है कि वे इस लायक नहीं हैं और उनको जनरल उम्मीदवारों के ज़रिए भर दिया जाता है।

वहां के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनसे पहले के जो डायरेक्टर थे, वे एसटी थे, उनके जमाने में जरूर नियम के हिसाब से काम हुआ, लेकिन अब फिर लोगों का वही माइंडसेट है कि वे काम करना नहीं चाहते हैं। वे किसी भी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के उम्मीदवारों को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यह कहता हूँ कि इस वक्त जो सेलेक्शन होने जा रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। इसके अलावा, जो लोग एससीज, एसटीज तथा ओबीसीज के हक को न देने के दोषी हैं, उनके खिलाफ जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिले।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DILIP KUMAR TIRKEY (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

श्री शरद यादव (बिहार) : महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार आपके आने के बाद भी और आने से पहले भी यानी एक डॉयरेक्टर थे जो सब तरह पोस्टों को ठीक भरते थे। यह जो नए डॉयरेक्टर आए हैं, इन्होंने पिछली बार भी बड़े पैमाने पर नॉट सूटेबल चालीस लोग ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अब आप अपने सब्जेक्ट पर भी बोलिए। Continuation of Armed Forces Special Powers Act in Manipur.

श्री शरद यादव : अभी वही बोलूंगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि यह मामला बहुत गंभीर है। नकवी साहब, इस मामले में अभी जो इंटरव्यू होने वाले हैं, जो भर्ती होने वाली है, अगर उसको नहीं रोका गया तो दस साल तक के लिए एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वाले लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : हां, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री शरद यादव : इसिलए इस बात को, यह बहुत छोटी बात नहीं है, यह ठीक बात उन्होंने उठाई है। आप तत्काल इसको बंद करिए। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको देखिए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : ज़ीरो ऑवर में ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री अपनी बात ही नहीं कहेगा। यह अजीब बात है, यह गजब बात हो गई। इसलिए आप फिर से पुराना सिस्टम वापस

लाइए। यह नहीं चल सकता। इतने बड़े गंभीर मामले पर सारे देश में यानी इन लोगों को क्यों दे रहे हो? आप इसको स्क्रेप कर दो या फिर इसके बारे में संविधान में जो कहा है, उसको पूरा करो। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second. ...**(Interruptions)**... One second. ...**(Interruptions)**...

**श्री बैष्णव परिडा** (ओडिशा) : माननीय मंत्री जी को इस पर एक स्टेटमेंट देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अली अनवर अंसारी** : महोदय, हमने इसी विषय पर प्रधान मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है, लेकिन वे जवाब तक नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...**(Interruptions)**...

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी)** : आदरणीय राम गोपाल जी ने, आदरणीय शरद जी ने जो AIIMS से जुड़ा हुआ और उसमें नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर पर वह बहुत संवेदनशील है। इस संबंध में उन्होंने जो बात कही है, उसके बारे में हम हैलथ मिनिस्टर से बात करेंगे, ताकि उसका समाधान हो सके। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naqvi. I think you have understood the feeling of the Members. Kindly report to the concerned Minister for proper action.

**श्री आनन्द शर्मा** (राजस्थान) : सरकार की तरफ से इस पर बयान आए। अभी बयान नहीं आया है। मंत्री जी ने कहा है कि वे इस पर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। माननीय मंत्री जी, बात करके आप सदन को अवगत कराएं, सूचित करें। सिर्फ अवगत ही नहीं कि उधर न बताएं उसके बाद आएँ और तब तक इंटरव्यू को रोका जाए। ...**(व्यवधान)**... जब तक सरकार सदन में वापस नहीं आ जाती। ...**(व्यवधान)**... यह ऐसा विषय नहीं है कि एक तरफ तो इंटरव्यू होता रहे, फिर सरकार आकर सदन को बताएगी कि यह तो हो चुका सब कुछ। ...**(व्यवधान)**... शरद जी ने जो बात उठाई है, उसको गंभीरता से लिया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You raised it. ...**(Interruptions)**... See, the matter is raised. I hope the hon. Parliamentary Affairs Minister will take it up with the concerned Minister, i.e., Home Minister and come back to the House. ...**(Interruptions)**... It should be done. ...**(Interruptions)**... That is why I directed. I have directed the Government to come back to the House with the latest position on this. ...**(Interruptions)**... Shri Sharad Yadavji.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: In this Session? ...**(Interruptions)**...

**श्री शरद यादव** : उपसभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ कि आपने जो सरकार को डॉयरेक्शन दिया है, आदेश दिया है ...**(व्यवधान)**...